दिनेश कुमार, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज
एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302 005

क्रमांक/ अध्यक्ष डिस्कॉम्स/ प्राव. सहायक/ पत्रा. प्रे. 244 जयपुर, दिनांक 16, जुलाई, 2021

परिपत्र

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.07.2021 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा **"मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना"** के तहत सामान्य श्रेणी–ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिये जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ–साथ अतिरिक्त अनुदान प्रतिमाह 1,000 रुपये तक (अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष) विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से निम्न शर्तो के अधीन दिया जाना प्रावधित किया गया है।

1. उक्त योजना तीनों विद्युत वितरण निगमों में बिलिंग माह मई, 2021 अर्थात 1 मई एवं उसके बाद जारी होने वाले कृषि बिलों पर लागू होगी। विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ज़ारी अद्यतन "विद्युत आपूर्ति के सेवा–शर्ते– 2021 " के अनुसार बिलिंग माह से आशय उस माह से है जिसमें बिल जारी किया गया है।
2. विद्युत वितरण निगमों द्वारा बजट घोषणा की अनुपालना में सभी कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र द्विमासिक (प्रति दो माह) आधार पर जारी किए जायेंगे।
3. अतिरिक्त अनुदान राशि केवल सामान्य श्रेणी–ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) के मीटर्ड (चालू/बन्द/खराब आदि सभी स्थितियों में) एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को देय होगी।
4. पात्र कृषि उपभोक्ताओं को, चालू बिलिंग माह में बिल जारी करते समय निगम की कोई भी पूर्व बकाया राशि नहीं होने पर विद्युत विपत्र में देय अनुदान राशि, इस परिपत्र के अनुसार समायोजित की जाएगी। अतएव, सभी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, उपभोक्ताओं को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने विद्युत विपत्रों का भुगतान देय तिथि तक करने हेतु प्रेरित करेंगे।
5. योजना के अन्तर्गत पात्र कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में देय टैरिफ अनुदान के पश्चात् भुगतान योग्य बिजली बिल राशि अधिकतम 1000 रूपये प्रतिमाह (अधिकतम 12000 रूपये प्रतिवर्ष) का समायोजन विद्युत बिलों में किया जायेगा। यदि किसी माह कृषि उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि 1000 रूपये प्रतिमाह से कम है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी माहों में किया जावेगा।
6. योजना चालू होने के उपरान्त (बिलिंग माह मई, 2021) के माह/माहों की बकाया राशि का भुगतान आगामी माह में करने पर उक्त माह/ माहों की देय बकाया अनुदान राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी माहों में किया जावेगा।

DIR(F) / CCOA / ST AO(RA) 16/7/21

16/07

Tel. : +91-141-2744965 (O) • Fax : +91-141-2744187 • e-mail : chairmandiscoms@rajasthan.gov.in

7. वर्ष के मध्य में नया कनेक्शन जारी करने की स्थिति में अनुदान की वार्षिक सीमा आनुपातिक रूप से देय होगी।

8. यदि उपभोक्ता विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 126 (विद्युत दुरूपयोग की दशा में) 135 (विद्युत चोरी की दशा में) व 138 (विद्युत चोरी व निगम सम्पत्ति को नुकसान की दशा में) के अन्तर्गत दोषी हैं, तो अनुदान राशि उसके दोषमुक्त होने एवं सम्पूर्ण आरोपित राशि जमा करवाने के उपरान्त आगामी बिलिंग माह में देय होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता के विरूद्ध 20 जून को विद्युत अधिनियम की उपरोक्त वर्णित धाराओं में वी.सी.आर. भरी जाती है एवं इसके उपरान्त उसे 25 दिसम्बर को दोषमुक्त कर दिया जाता है एवं/अथवा उसके द्वारा आरोपित राशि जमा करवा दी जाती है तो वह आगामी बिलिंग माह जनवरी/फरवरी (जो भी लागू हो) में इस योजना में अतिरिक्त अनुदान राशि हेतु पात्र होगा।

9. उक्त योजना का लाभ के लिए कृषि उपभोक्ता के विद्युत खाता संख्या से आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या को जुड़वाना आवश्यक होगा। चूंकि कृषि उपभोक्ता के विद्युत खाता संख्या को आधार संख्या व बैंक खाता संख्या से जुड़वाने में समय लगना संभावित है अतः जुलाई, 2022 तक आधार संख्या व बैंक खाता संख्या नहीं जुड़ने की स्थिति में भी अनुदान का लाभ देय होगा।

10. विद्युत वितरण निगम उक्त योजना के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त अनुदान की राशि वर्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपने प्रस्ताव में शामिल करते हुए, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर आयोजित बी.एफ.सी. की बैठको में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वित्त विभाग, द्वारा आवश्यक अनुदान राशि का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

11. विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्रतिमाह लाभान्वित कृषकों की संख्या तथा उनको दिये गये अनुदान की सूचना वित्त विभाग को प्रेषित की जायेगी।

अतएव, उपरोक्तानुसार तीनों विद्युत वितरण निगम "मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना" की क्रियान्विति सुनिश्चित करें ।

(दिनेश कुमार)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. निजि सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स

क्रमांकः जे.पी.डी. / व.ले. (बि.) / राजस्व / पत्रा. 809 / प्रे. 287 जयपुर, दिनांकः 19.07.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, ... ।
2. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता ( ), जयपुर डिस्कॉम, ... ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम, ... ।
5. अधिशाषी अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, ... ।
6. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक / निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक (वित्त), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. निजी सहायक, मुख्य लेखा नियन्त्रक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
9. सहायक लेखाधिकारी (राजस्व), जयपुर डिस्कॉम, ... ।
10. सहायक अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, ... ।
11. मैसर्स बी.ई.एस.एल / के.ई.डी.एल, भरतपुर / कोटा।
12. मैसर्स बी.सी.आई.टी.एस लि., जी– 19 / 20, मेट्रोपोलीस टॉवर, पुरानी चुंगी, अजमेर रोड, , जयपुर– 302019।

(खेम चन्द्र)
वरिष्ठ लेखाधिकारी (बिलिंग)